BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
GOVERNMENT OF BIHAR

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

ekfld ifronu

नवम्बर 2018

fcgkj jkT; vkink ic/ku ikf/kdj.k

¼vkink ic/ku foHkkx] fcgkj ljdkj½

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

fo"k; lwph i`t u-

(A) vfHk;ku rkvksa@okLrqfonksa@ lfoonkdksa@jktfefL=;ksa dks HkwdEijks/kh fuekZ.k rduhd ls lEcf/kr izf'k{k.k 1&3

(B) ck<+ izo.k ftyksa esa uo inLFkkfir iz[k.M fodkl inkf/kdkjh@vpy vf/kdkfj;ksa dk vkink tksf[ke U;wuhdj.k ,oa izca/ku fo"k;d izf'k{k.k 4

(C) eq[;ea=h fo|ky; lqj{kk dk;ZØe 5&9

(D) ukfodksa ,oa uko ekfydksa izf'k{k.k 10&11

(E) ukxfjdksa ds fuca/ku gsrq fuca/kdksa@lo{kdksa dk izf'k{k.k 11

(F) lqjf{kr NB ioZ 2018 ds vk;kstu] ?kkVksa ij lEiw.kZ O;oLFkk ,oa vU; rS;kfj;ksa ds vkyksd esa iVuk ftyk ds inkf/kdkfj;ksa dk mUeq[khdj.k 12

(G) vkink tksf[ke U;wuhdj.k ,oa izca/ku fo"k; ij iapk;r izfrfuf/k;ksa dk izf'k{k.k dk;ZØe 13&14

(H) vkink tksf[ke U;wuhdj.k ,oa izca/ku fo"k; ij fcgkj ds lHkh ftyksa ds p;fur iz[k.Mksa ds izeq[k ,oa ftyk ifj"kn v/;{k dk jkT; Lrjh; izf'k{k.k dk;Zdze **15–16**

(I) jk"Vªh; laxks"Bh **"Urban Climate Resilience : The Context of River Basins : Urban- Peri Urban Ecosystem, Inclusive Governance and Partnerships"** uoEcj 2018 17&18

(J) fcgkj HkwdEiekih rU= dk izxfr fooj.k 19

(K) **Mass Messaging/Whatsapp Advisory** 20

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रोजेक्टर के माध्यम से राजमिस्त्रियों का क्लास रूम प्रशिक्षण

ekfl d ifrounu ¼uoEcj] 2018½

(A) vfHk;rkvk@okLrfonk@l ondk@jktfefL=;k dk HkdEijk/kh fuek.k rduhd l l cf/kr if'k{k.k

¼1½ 02 नवम्बर एवं 23 नवम्बर 2018 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षकों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कार्यक्रम सम्पादित किया गया। इस कार्यक्रम में क्रमशः 42 एवं 38 प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

¼2½ अक्टूबर 2018 तक dy 2327 jktfefL=;ksa को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया था।

नवम्बर 2018 में, दिनांक 16 से 22 नवम्बर 2018 तक मधुबनी जिला के तेरह प्रखण्डों के कुल 358 jktfefL=;k को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

दिनांक 27 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2018 तक, मधुबनी जिला के शेष आठ प्रखण्डों एवं दरभंगा जिला के पाँच प्रखण्डों के कुल 357 jktfefL=;k को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

¼3½ जनवरी 2017 से अक्टूबर 2018 तक कुल मिलाकर 1119 अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया था।

नवम्बर माह में दिनांक 28 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2018 तक, नालंदा जिला के कुल 33 असैनिक अभियंताओं को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षत किया गया है।

इस प्रकार नवम्बर 2018 तक कुल 2327 + 358 + 357 ¾ 3042 jktfefL=;k एवं 1119 + 33 = 1152 vlfud vfHk;rkvk को प्रशिक्षित किया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

uoEcj 2018 e lpkfyr dk;Øek dk fooj.k			
One day Mason Trainer Refresher Course at BSDMA			
Sr.	**Name of Program**	**Training Date**	**No. of mason trained**
1	Refresher Course	2nd November	42
2	Refresher Course	23rd November	38

7 days block level mason training at Madhubani District			
Sr. No.	**Name of Block**	**Training Date**	**No. of mason trained**
1.	Khutouna	**16-22 November 2018**	29
2.	Ladania		30
3.	Khajauli		29
4.	Babubarhi		21
5.	Andhrathadi		23
6.	Rajnagar		30
7.	Rahika		30
8.	Benipatti		30
9.	Madhwapur		28
10.	Harlakhi		30
11.	Basobatti		28
12.	Jainagar		27
13.	Kaluahi		23
		Total No. of Mason Trained	**358**

7 days block level mason training at Madhubani & Darbhanga District			
Sr. No.	**Name of Block**	**Training Date**	**No. of mason trained**
1.	Bisfi, Madhubani	**27 Nov – 3 Dec 2018**	30
2.	Pandaul, Madhbani		25
3.	Laukhi, Madhubani		30
4.	Phulparas, Madhubani		23
5.	Ghonghardiha, Madhubani		28
6.	Madhepur, Madhubani		29
7.	Lakhnaur, Madhubani		29
8.	Jhanjharpur, Madhubani		26
9.	Jale, Darbhanga		26
10.	Singhwara, Darbhanga		28
11.	Kewati, Darbhanga		29
12.	Manigachhi, Darbhanga		27
13.	Tardih, Darbhanga		27
		Total No. of Mason Trained	**357**

4 days Engineers Training_Distt:- Nalanda				
1.	4 days Engineers Training district : Nalanda	28 November - 01 December 2018	BSDMA, Patna	No. of Engineers trained: **33**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भूकंपरोधी मकान बनाने का दिया गया प्रशिक्षण

रहिका (मधुबनी) संस : गहरी हो 4 फीट नीव यदि मंजिल दो टाइ बीम बांधे कॉलम को ध्यान देना चाहिए। भूकंप रोधी बैंड बांधे, कुर्सी सिल्ल, लिंटल को एक-एक सरिया कोनों पर तान देना चाहिए। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार डॉ. सुनील कुमार चौधरी ने स्वरचित कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से भूकंप रोधी भवन निर्माण के तकनीक को बड़े ही सरल, रोचक एवं प्रभाव कारी तरीके से राजमिस्त्रीयों को समझाया। उन्होंने बताया कि भारवाहक दीवार वाले भवन के पिलर निर्माण में चार छड़ डालने की आवश्यकता नहीं है। अपितु पिलर में छड़ डालकर

आयोजन

- भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए एक छड़ का प्रयोग करना चाहिए
- भूकंपरोधी भवन पर सात दिवसीय शिविर में अभिनव प्रयोग

भूकंप रोधी मजबूत एवं सस्ता भवन का निर्माण किया जा सकता है। उन्होने कॉलम ,बीम ,सलैब मे छड़ की उचित मात्रा भूकंपीय बैंड में झुमका एंव बीम में चुड़ी के बीच की दूरी डिजाइन के हिसाब से रखने पर बल दिया। बीम एवं कॉलम के जोड़ों के पास सघन चुड़ी के महत्व को विस्तार से समझाया गया। भूकंप आने के समय बीम एवं कॉलम के आचरण एवं भूकंप के विपरीत प्रभाव से बचाने के लिए छड़, झुमका ,चूड़ी एवं मकान के नीव की गहराई तथा उस प्रकार से संबंधित तकनीकी बारीकियों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान रामिस्त्रियों को दिया। प्रशिक्षण प्रभारी एवं मास्टर ट्रेनर्स की देखरेख में वर्ग कार्य एवं स्थलीय अभ्यास कराया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षित बिहार एवं विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी के गतिशील नेतृत्व में तकनीकी टीम सतत प्रयासरत है। इस कार्यक्रम में अनुभवी राजमिस्त्रीयों का भूकंपरोधी भवन पर सात दिवसीय प्रशिक्षण एक अभिनव प्रयोग है। जिसमें प्रत्येक प्रखंड में 30 राज मिस्त्रीयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के अंतिम दिन 700 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 4900 का चेक एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। संपूर्ण भारत में इस तरह का प्रशिक्षण चलाने वाला बिहार एक मात्र पहला राज्य है। अंत में डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी द्वारा रचित कविता सबको भूकंप रोधी ज्ञान देना चाहिए के सामूहिक गान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। इस मौके पर प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी लेने के लिए प्रखंड के विभिन्न पंचायत के ग्रामीण एवं अंचलाधिकारी मौजूद थे।

राजमिस्त्रियों को दी गई भूकंपरोधी मकान बनाने की ट्रेनिंग

डिस्की (मधुबनी), संस : प्रखंड के टीपीसी भवन में बिहार राज्य आपदा विभाग द्वारा चलाये जा रहे भूकंप रोधी भवन के निर्माण हेतु राज मिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त हो गया। समापन समारोह के अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि सुरक्षित बिहार विकसित बिहार का सपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संजोए हुए हैं। उनकी इस सपना को पूरा करने के लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी द्वारा समाज की सूरत बदलने के लिए भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की गई है।

उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने बड़े ही सरल, सस्ता, रोचक एवं प्रभावकारी तरीके से प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान बनाने के तरीकों को समझाया। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर मकान बना रहे हैं वहां की मिट्टी का जांच अवश्य कराएं । मिट्टी चिकनी

- भूकंपरोधी मकान बनाने की हो चुकी है शुरुआत, सहयोग की जरूरत
- सीएम ने सुरक्षित बिहार विकसित बिहार का संजोया है सपना
- सभी दीवारों को आपस में एक बक्से की तरह बांध कर रखना जरूरी

में महीन बालू ,डीला सील्ट या गर्द फैलने वाली मिट्टी, भरा हुआ जमीन, ढलान पर जमीन, मिट्टी में गलाने वाले रसायन एवं पानी लगा हुआ जमीन होने पर सावधान रहने की सलाह दी। भूकंपरोधी घरों में आयताकार, टी सेप, एल सेप या क्रॉस सेप सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी गई है ।मकान की मजबूती स्टील या सरियों पर आधारित होती है । दीवार की मजबूती के लिए खिड़कियों एवं दरवाजे के आकार को कम से कम रखना चाहिए। दोनों तक दीवार होना चाहिए। क्षैतिज दिशा में आरसीसी बैंड के सहारे तथा खड़े दिशा में नीव से छत तक कंक्रीट के अंदर खड़े छड़ के सहारे ईट जोड़ाई वाली सभी दीवारों को आपस में एक बक्से की तरह बांध कर रखना आवश्यक है ।मोके पर सीओ प्रभात कुमार, प्रशिक्षण प्रभारी आकाश गोस्वामी, मास्टर ट्रेनर श्याम सिंह एवं जियाउर रहमान, सीआइ उमेश चंद्र दास, अंचलकर्मी रंजीत पासवान, टीपू पासवान, प्रशिक्षु राजमिस्त्री के साथ भारी

भूकंपरोधी भवन निर्माण को बढ़ावा देने की अपील

डिस्की, मधुबनी, संस : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षित कारीगर मकानों के सभी बीमारियों के कारण एवं इलाज करना जान गए है। वर्तमान में भूकंप सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदी के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रशिक्षित कारीगरों को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। उन्होंने राजमिस्त्रीयों से अपील की आगे से जो भी नींव रखे भूकंप रोधी ही होनी चाहिए। साथियों को भी भूकंपरोधी इमारत बनाने का कला सिखाए। इससे पहले उन्होंने भूकंप रोधी, चक्रवात रोधी एवं बाढ़रोधी भवन निर्माण पर सात दिवसीय प्रशिक्षण पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अंचलाधिकारी,प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अंचल कर्मी, प्रखंड कर्मी, प्रशिक्षण प्रभारी ,मास्टर ट्रेनर एवं भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को चेक व प्रमाण पत्र का किया गया वितरण

केवटी/जाले | हिन्दुस्तान टीम

प्रशिक्षण संपन्न

- भूकंप से बचाव को लेकर राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण संपन्न
- प्रमाण पत्र व चेक पाकर राज मिस्त्रियों ने जताई खुशी

भूकंप से बचाने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले चरण का प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर सीओ अजीत कुमार झा ने 30 में 29 प्रशिक्षण ले रहे राज मिस्त्री को प्रत्येक को 4,900 का चेक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया।

प्रमाण पत्र बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से उपलब्ध कराया गया था। इस मौके पर प्रबंधन के तकनीकी सलाहकार डॉ. सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षित कारीगर मकानों के डॉक्टर कहलाएंगे, क्योंकि यह मकानों के सभी बीमारियों के कारण एवं इलाज करना जान गए है। वर्तमान में भूकंप सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदी के रूप में उभर कर सामने आया है। इसे डरने के बजाय हमें डटकर सामना करना होगा। ये मकानों के डॉक्टर आधुनिक विश्वकर्मा है जिनकी मेधा का सही इस्तेमाल कर हमें भूकंप से खुद को महफूज करना होगा। प्रशिक्षित कारीगरों को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। उन्होंने राजमिस्त्रीयों से अपील की आगे से जो भी नींव रखे भूकंप रोधी ही होनी चाहिए। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने सात दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न जानकारियां दी। इस मौके पर बीडीओ महेश चन्द्र के अलावा अंचल कर्मी, प्रखंड कर्मी, प्रशिक्षण प्रभारी ,मास्टर ट्रेनर आदि उपस्थित थे।।

उधर जाले में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रखंड मुख्यालय में आयोजित सात दिवसीय भूकंप रोधी प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हुआ। अंतिम दिन प्रशिक्षकों की ओर से राजमिस्त्रियों को मकान बनाने के क्रम में भूकंप से बचाव के तरीके बताए गए। अंत में ट्रायसम भवन में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमुख फूलो बैठा, बीडीओ राजेश कुमार और सीओ कमल कुमार ने बारी-बारी से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया। इन लोगों ने सभी राजमिस्त्रियों से अपील की कि वे भूकंप रोधी मकान बनवाने में लोगों के बीच दूत बनकर काम करें और लोगों को भूकंपरोधी मकान बनवाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश भी करें। इस दौरान प्रशिक्षक सुनील कुमार, सतीश राम और बैद्यनाथ पासवान भी मौजूद थे। इस प्रशिक्षण में इलाके के कुल तीस राजमिस्त्रियों ने भाग लिया था।

केवटी में प्रमाण पत्र तथा चेक मिलने के बाद खुशी का इजहार करते प्रशिक्षित राजमिस्त्री व जाले के ट्रायसम भवन में प्रशिक्षित राजमिस्त्री को प्रमाणपत्र देते प्रमुख, बीडीओ व सीओ।

Hindustan Darbhanga Dated:- 04 Dec 2018

(B) ck< izo.k ftyksa esa uo inLFkkfir iz[k.M fodkl inkf/kdkjh@vapy vf/kdkfj;ksa dk vkink tksf[ke U;wuhdj.k ,oa izca/ku fo"k;d izf'k{k.k %&

माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश के आलोक में बाढ़ प्रवण जिलों में नव पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों, जिन्हें आपदा प्रबंधन का अनुभव नहीं है, को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयक उन्मुखीकरण किया जा रहा है। करीब 336 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना है। अक्टूबर माह तक कुल 270 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिपार्ड के सहयोग से इन पदाधिकारियों का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण निम्नानुसार आयोजित किया गया:

fnuk¡d	izf'k{k.kkfFkZ;ksa dh la[;k		
	iz[k.M fodkl inkf/kdkjh	vapy vf/kdkjh	dqy
01–02 नवम्बर, 2018	11	12	23

इस प्रकार नवम्बर माह तक कुल 270+23=293 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें केवल नवम्बर माह में 23 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षित किया गया।

(C) e[;e=h fo|ky; lj{kk dk;Øe

1- jkT; ,o fty k Lrjh; çf'k{k.k dk;Øe

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय गतिविधियों, यथा, प्रत्येक जिलों के मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (29 जनवरी से 19 अप्रैल) एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण (14 मई से 19 मई) के पश्चात बिहार के जिलों में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 21 मई से प्रारम्भ हुआ। सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया है।

2- ç[kM Lrjh; çf'k{k.k

इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में विद्यालयवार फोकल शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सितम्बर माह तक गोपालगंज जिले को छोड़कर सभी 37 जिलों में संपन्न हो चुका है। इस चरण में सभी विद्यालयों से एक–एक फोकल शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाना है।

अभी तक प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित हुए 29,495 प्रशिक्षित फोकल शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग से प्राप्त हो चुकी है।

3- l|d|y Lrjh; çf'k{k.k dk;Øe

इस कार्यक्रम के चौथे चरण में विद्यालयवार बाल प्रेरकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संकुल स्तर पर होना था। अक्टूबर माह तक 34 जिलों में संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रारम्भ हो चुका है। 04 जिले जहाँ संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुआ है वे हैं– औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी।
अभी तक कुल 1,36,967 बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित किये जाने की जानकारी शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त हो चुका है।

4- fo|ky;k e lqjf{kr 'kfuokj dk fØ;kUo;u

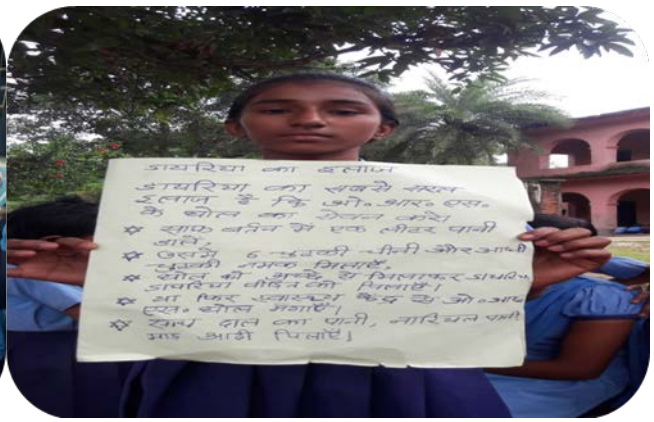

इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को बाल प्रेरकों एवं फोकल शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में आपदा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना था। अभी तक 34 जिलों में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है। शेष 04 जिले जहाँ विद्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो पाया है वे जिले हैं– औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं गोपालगंज।

सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन दस्तावेज में वर्णित वार्षिक सारणी के अनुसार नवंबर माह के प्रथम शनिवार को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में "भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव के सन्दर्भ में जानकारी" के बारे में फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के द्वारा जानकारी दी गयी। नवम्बर माह के दूसरे शनिवार को "नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के सन्दर्भ में जानकारी" के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। तीसरे शनिवार को "भूकंप से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी (मॉकड्रिल)" के बारे में जानकारी दी गयी। चौथे शनिवार को "बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़" के सन्दर्भ में जानकारी दी गयी।

5- dk;Øe d vuJo.k d fy, MkVk ,Vh

इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा एक डाटा फॉर्मेट भी विकसित किया गया है जिसे Google Drive के माध्यम से सभी जिलों के जिला

शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। इसमें विस्तृत तौर पर विद्यालयवार फोकल शिक्षकों एवं अन्य गतिविधियों का डाटा इकठ्ठा किया जा रहा है।

इसी क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा दिनांक 20 अगस्त को एक स्मार पत्र भी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया है एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए एक 5 पृष्ठों का फॉर्मेट भी भेजा गया है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति के गठन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन प्रस्तावित है। समिति का गठन करने हेतु सभी जिलों को पत्र भेजा गया जिसकी प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है।

सुपौल, मधेपुरा एवं गया में जिला स्तरीय समिति गठित करने की सूचना प्राप्त हो चुकी है।

6- dk;Øe d vuJo.k gr ikVy dk fuek.k

चूँकि यह कार्यक्रम राज्य के सभी सरकारी एवं निजी प्राथमिक/मध्य विद्यालयों एवं मदरसों में नियमित रूप से संचालित किया जाना है, अतएव कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु यूनिसेफ के सहयोग से एक पोर्टल के निर्माण पर काम चल रहा है। इस पोर्टल पर फोकल शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किए गए नवाचार एवं गतिविधियों को भी साझा करने की सुविधा रहेगी ताकि फोकल शिक्षक एक दूसरे से सीख सकें।

7- lqjf{kr 'kfuokj 0gkV l ,i xi

सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों को एक दूसरे से साझा करने एवं सीखने–सीखाने के लिए व्हाट्स एप (whatsapp) ग्रुप बनाया गया है। फोकल शिक्षक एवं मास्टर प्रशिक्षक इस माध्यम का भरपूर उपयोग कर रहे हैं।

8- iVuk ftyk ds lHkh futh fo|ky;ksa] enjlksa] laL—r f'k{kk cksMZ ,oa vU; foHkkxksa }kjk lapkfyr fo|ky;ksa ds Qksdy f'k{kdksa dk 2 fnolh; çf'k{k.k dk;Øe&

विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अनुश्रवण से ज्ञात हुआ कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों में चल रहे हैं जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में सभी विद्यालयों में इस कार्यक्रम को संचालित करना है। इस आशय का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। परन्तु अभी तक निजी विद्यालयों एवं मदरसों आदि में फोकल शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जा सका है।

फलतः प्राधिकरण स्तर से तत्काल पटना जिले के सभी निजी विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों के एक–एक नामित फोकल शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण (लगभग 850 विद्यालयों के फोकल शिक्षक) कुल 18 बैचों में कराने का निश्चय किया गया है। बाद में अन्य जिलों के लिए भी इसका विस्तार किया जाएगा।

दिनांक 26–27 सितम्बर को पटना के ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान गाँधी मैदान पटना में यह प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। सितम्बर माह में एक बैच में 50 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। अक्टूबर माह में 6 बैचों में निजी विद्यालयों के 312 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। नवंबर माह में 6 बैचों में निजी विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों के 310 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

cSp	fnukad	izfrHkkfx;ksa dh la[;k
आठवां बैच	31–01 नवम्बर	50
नौवां बैच	02–03 नवम्बर	56
दसवां बैच	16–17 नवम्बर	42
ग्यारहवां बैच	22–23 नवम्बर	48
बारहवां बैच	27–28 नवम्बर	56
तरहवां बैच	29–30 नवम्बर	58

इस प्रकार नवम्बर माह तक पटना जिले के निजी विद्यालयों/संस्कृत विद्यालयों/मदरसों आदि के कुल 50+312+310=672 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(D) ukfodk ,o uko ekfydk dk if'k{k.k

प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चयनित 29 जिलों में जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से नाविकों एवं नाव मालिकों को सुरक्षित नौका चालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित हस्त पुस्तिका सभी नाविकों एवं नाव मालिकों को उपलब्ध करायी गयी है एवं करायी जा रही है एवं प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार गत माह अक्टूबर तक 23 जिलों के कुल 4843 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया गया था। माह नवम्बर में शिवहर जिले में कुल 123 नाविक एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया गया। नवम्बर माह के प्रशिक्षण का विवरण निम्नांकित है:–

Øe l[;k	f t yk dk uke	if'kf{kr ukfodk ,o uko ekfydk dh l[;k
1.	शिवहर	123
	d[y	**123**

इस प्रकार अब तक कुल 4843+123=4966 नाविक/नाव मालिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अनुश्रवण के दौरान सूचना प्राप्त है कि निम्नांकित 04 जिलों में भी प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है, परन्तु प्रशिक्षितों की संख्या एवं विवरणी प्राप्त नहीं हो सकी है।

Øe la[;k	ftyk dk uke
1.	लखीसराय (एक बाढ़ प्रवण ब्लॉक को छोड़कर)
2.	गोपालगंज
3.	शेखपुरा
4.	सीतामढ़ी

नालंदा जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर लेने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

(E) ukdkvk dk fuc/ku gr fuc/kdk@lo{kdk dk if'k{k.k

नौकाओं के सर्वेक्षण एवं निबंधन हेतु विभिन्न जिलों में आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित निबंधकों/सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत गत अक्टूबर माह तक कुल 17+5=22 बैचों में 22 (अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण) जिलों के कुल 398 निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण NINI, (गायघाट, पटना) में कराया जा चुका है।

नवम्बर माह में छठ पर्व के लिए एवं अन्य अवकाश होने के कारण प्रशिक्षण नहीं सम्पन्न किया जा सका।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(F) l|jf{kr NB io 2018 d vk;ktu] ?kkVk ij lEi.k 0;oLFkk ,o vU; r;kfj;k d vkykd e iVuk ftyk d inkf/kdkfj;k dk mUeq[khdj.k%&

- दिनांक 10.11.2018 को ज्ञान भवन, पटना में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित छठ पूर्व तैयारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण द्वारा छठ पर्व के सुरक्षित आयोजन हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा उन्मुखीकरण किया गया।
- प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित छठ पर्व आयोजन हेतु तैयार किये गये प्रस्तुतीकरण (Presentation) को सभी जिलों को भी भेजा गया था।
- प्राधिकरण एवं BIAG की टीम द्वारा छठ पूजा की तैयारियों के अवलोकन के मद्देनजर दिनांक 11–14 नवम्बर 2018 तक पटना **जिले** के पुनपुन, सम्पतचक, पण्डारक, फतुहाँ, बिहटा, मनेर, दानापुर, सदर, आदि प्रखडों के घाटों पर की गई तैयारियों का अवलोकन किया गया। उक्त टीम के द्वारा भ्रमण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों एवं पूजा समिति के सदस्यों को उपयुक्त सुझाव दिये गये।

(G) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o icU/ku fo"k; ij ipk;r ifrfuf/k;ks dk if'k{k.k dk;Øe %&

1- jkT; Lrj ij if'kf{kr ekLVj Vsuj }kjk ftyks es i[kaM Lrjh; if'k{k.k

पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। अब तक निम्नांकित जिलों में प्रखंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना प्राप्त हैः–

1. मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी, 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली 17. बांका 18. जहानाबाद 19. कटिहार 20. पश्चिमी चम्पारण 21. बक्सर 22. अररिया 23. औरंगाबाद 24. अरवल 25. नवादा 26. खगड़िया 27. शेखपुरा 28. कैमूर 29. भागलपुर 30. बेगूसराय 31. पूर्णिया 32. रोहतास 33. जमुई ।

उपर्युक्त जिलों से प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों के आँकड़े विहित प्रपत्र में प्राधिकरण को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है एवं उन सभी जिलों से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों का डाटा बेस तैयार कर जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। अभी तक मात्र मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण एवं सुपौल जिले से विहित प्रपत्र में प्रशिक्षण का ऑकड़ा प्राप्त हुआ है।

इन 7 जिलों से प्राप्त प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या निम्नवत् हैः–

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Ø0l0	ftyk dk uke	d|y c|pk dh l0	ftyk ifj"kn lnL; ¼i|[k.M {k= e| if'kf{krk dh l0½	i|pk;r lfefr lnL; ¼i|[k.M {k= e| if'kf{krk dh l0½	e|f[k;k ¼i|[k.M {k= e| if'kf{krk dh l0½	ljip ¼i|[k.M {k= e| if'kf{krk dh l0½	okMZ lnL; ¼i|[k.M {k= e| if'kf{krk dh l0½	ip ¼i|[k.M {k= e| if'kf{krk dh l0½	d|y if'k{k rk dh l0
1.	मधुबनी	120	56	539	371	378	5149	5127	11620
2.	मुजफ्फरपुर	33	25	288	263	207	1627	1291	3701
3.	शिवहर	14	1	48	30	35	558	540	1212
4.	सारण	92	6	294	273	239	3897	3139	7848
5.	जहानाबाद	26	4	87	78	85	968	927	2149
6.	पूर्वी चम्पारण	69	10	271	236	262	3234	2553	6566
7.	सुपौल	60	15	198	146	145	1766	1631	3901
	d|y	**414**	**117**	**1725**	**1397**	**1351**	**17199**	**15208**	**36997**

नोटः– उपरोक्त सूची के जिलों से अनुरोध किया गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के वास्तविक संख्या के अनुसार यदि कोई पंचायत प्रतिनिधि कतिपय कारणों से प्रशिक्षित नहीं पायें हों, तो उनका एक अलग से बैच में प्रशिक्षित कर पूर्ण किया जाय।

सूचनानुसार मुंगेर जिला में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ है। गया एवं भोजपुर जिले में नवम्बर माह में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव था लेकिन आरंभ नहीं किया जा सका है। यह कार्यक्रम दिसम्बर माह में करने का प्रस्ताव है।

(H) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o icU/ku fo"k; ij fcgkj d lHkh ftyk d p;fur i[k.Mk d ie[k ,o ftyk ifj"kn v/;{k dk jkT; Lrjh; if'k{k.k dk;de

बिहार राज्य के बहु–आपदा के संबंध में प्रखण्ड स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से बिहार के सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 12 बैचों में निम्न तालिका में दर्शाए गए तिथिवार किया जा रहा है।

cp l[;k	fnukd
1	27–28 नवम्बर, 2018
2	06–07 दिसम्बर, 2018
3	11–12 दिसम्बर, 2018
4	18–19 दिसम्बर, 2018
5	27–28 दिसम्बर, 2018
6	03–04 जनवरी, 2019
7	11–12 जनवरी, 2019
8	17–18 जनवरी, 2019
9	30–31 जनवरी, 2019
10	05–06 फरवरी, 2019
11	12–13 फरवरी, 2019
12	20–21 फरवरी, 2019 (जिला परिषद्)

इस प्रशिक्षण के माध्यम से सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष को बहु–आपदा के जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी और इसके द्वारा आपदाओं के जोखिम की पहचान कर उससे सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्धन हो सकेगा तथा ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्य के अनुरूप एक ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा माह नवम्बर 2018 में बिहार के सभी जिलों से चयनित प्रखंडों के प्रमुख को ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम बैच आयोजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

ekg uoEcj] 2018 esa izf'k{k.k dk fooj.k%&

dze	fnukad	izfrHkkxh ftyk	izfrHkkfx;ksa dh la[;k
1	27–28 नवम्बर, 2018	मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, जमुई, रोहतास, अररिया, खगड़िया, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, अरवल, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, मुंगेर, पश्चिम चम्पारण।	20

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(I) jk"Vªh; lxk"Bh "Urban Climate Resilience : The Context of River Basins : Urban- Peri Urban Ecosystem, Inclusive Governance and Partnerships" 27&28 uoEcj 2018

"Urban Climate Resilience : The Context of River Basins : Urban- Peri Urban Ecosystem, Inclusive Governance and Partnerships" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, बिहार सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), भारत सरकार एवं गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप (GEAG) के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 27–28 नवम्बर 2018 को होटल मौर्या, पटना में किया गया। श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्त्ता के रूप में उपस्थित हुए साथ हीं उनके द्वारा "वायु प्रदूषण पर पटना घोषणा पत्र" का विमोचन भी किया गया।

भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के क्रम और इसके कारण उत्पन्न हो रही चुनौतियों पर त्वरित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। द्वितीयक श्रेणी के शहरों में अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि हो रही है। पूर्वी भारत के गंगा–ब्रहमपुत्र घाटी क्षेत्र में अवस्थित राज्य जलवायु परिवर्तनों के कारण विशेषतः संवेदनशील है और इस क्षेत्र के शहरों में खतरों व जोखिम सम्बन्धी अनेक समानताएं भी है। भारत सरकार के ऐसे प्रमुख कार्यक्रम जो शहरों के विकास व उन्हें बेहतर,

स्मार्ट व समावेशी बनाने पर केन्द्रित कार्यक्रमों, स्थाई विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.), आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्डई फ्रेम वर्क व न्यू अर्बन एजेण्डा 2030, इन सभी के उद्देश्यों में आपसी जुड़ाव निहित है और इन्हें चिन्हित व क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में एक स्पष्ट रोडमैप जरूरी है जो देश के शहरों को जलवायु परिवर्तन व आपदाओं से निपटने हेतु सशक्त कर सके। ऐसे में नदी घाटी के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य व प्रकृति आधारित समाधान पर समुचित ध्यान व वरीयता दोनों आवश्यक होगा।

उपरोक्त के मद्देनजर संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य शहरी सुरक्षा के समावेशी व व्यवहारिक प्रयासो हेतु अनुभवों की साझेदारी करने का अवसर प्रदान करना था जिससे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा इनके मध्य सामंजस्य को सशक्त करने की जमीनी प्रयास किये जा सकें।

इस संगोष्ठी में राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों, राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों एवं विभिन्न संस्थानों/गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(J) fcgkj HkdEiekih r= dk ixfr fooj.k

1. भूकम्प दूरमापी तंत्र का केन्द्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के संबंध में पटना विश्वविद्यालय एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच एक Memorandum of Understanding हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में मौखिक रूप से पटना विश्वद्यिालय द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रस्ताव को पटना विश्वविद्यालय के Syndicate द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। MOU के हस्ताक्षरित होने के बाद संग्रहण केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिस हेतु संवेदक का चयन कर लिया गया है।

2. 10 क्षेत्रिय वेधशालाओं में छः में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य चार वेधशालाओं में गुणवत्ता के सुधार हेतु Specification में संशोधन के संबंध में बिहार भवन निर्माण निगम लि0 से चर्चा के उपरान्त तीन और वेधशालाओं में कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। तत्पश्चात् इन वेधशालाओं में भी शीघ्र कार्य शुरू करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

3. क्षेत्रीय वेधशालाओं एवं संग्रहण केन्द्र का निर्माण होने पर मशीनों का क्रय एवं अधिष्ठापन किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा आवश्यक मशीनों का निर्धारण कर दिया गया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(K) Whatsapp Advisory

नवम्बर माह में प्राधिकरण द्वारा “ uko n|?kVuk l cpu d mik;” एवं “ ok;| iznw"k.k l QQMk vkj fny dh chekjh dk [krjk ink gkrk g” पर Mass Messaging किया गया जो निम्नांकित हैः– पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद् सदस्यों, आशा कर्मचारियों, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, अभियंत्ता, प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित फोकल टीचर, फायर सर्विसेस आदि लोगों को Mass Messaging द्वारा जागरूक किया गया।

uko n|?kVuk l cpu d mik;%&

जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा उसी नाव से यात्रा करें।
किसी भी स्थित में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, बॉय, के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें।

ok;| iznw"k.k l QQMk vkj fny dh chekjh dk [krjk ink gkrk g%&

धुएँ से वायु प्रदूषण बढ़ता है अतएव जीवाशम इधनों यथा–कोयला, गोबर के उपल, लकड़ी आदि को जलावन में उपयोग न करें।
औद्योगिक इकाई अपने उत्सर्जन को मानक के अनुकूल बनाए रखें।
फसलों के अवशेष/डंठल/ठूठ/भूसा को न जलायें ऐसा करने से वायु प्रदूषण फैलता है।
वृक्षारोपण को बढ़ावा दें एवं अपने घरों के आस–पास पेड़–पौधों की देखभाल ठीक से करें।